**(वाद सं0.-2273/4/23/2020)**

31.01.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, सुबोध कुमार झा, के सहारा इंडिया में निवेश की गई राशि के परिपक्वता राशि का परिपक्वता अवधि पुरा होने के पश्चात् सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **आर्थिक अपराध इकाई , बिहार, पटना** के निर्देश पर **जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर** के प्रतिवेदन के साथ अधिकृत पदाधिकारी, सहारा इण्डिया, मण्डल कार्यालय, मुजफ्फरपुर के द्वारा **वरीय उप समाहर्त्ता, बैकिंग, मुजफ्फरपुर** को सबोधित पत्र की प्रति को अनुलग्नित कर भेजा गया है जिसके अनुसार परिवादी, सुबोध कुमार झा द्वारा 1700+1900+1000+2200 (कुल निवेश की गई धनराशि 68000 रू0/–) की कुल परिपक्वता राशि, 21,9581 रू0 /, का भुगतान सहारा इंडिया द्वारा किया जा चुका, जिसका समर्थन परिवादी द्वारा राज्य आयोग को दूरभाष के माध्यम से भी किया गया है। परिवादी का कथन है कि अब उसकी कोई राशि सहारा इंडिया के पास बकाया नहीं है।

अब जबकि परिवादी की समस्या का संतोषजनक समाधान संबधित प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है तो ऐसो परिस्थिति में **जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–29–19/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

**निबंधक**